केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली / New Delhi -110016
फोन न./Phone no.2685857
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

एफ110230/विविध/2021/केविसं(मु०)/पेंशन एवं बीमा/ दिनांक: 24.03.2021

सूचना

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहली पेंशन यथासमय वितरित करने के संबंध में

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन वितरण से संबंधित मुद्दों पर भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के साथ दिनांक 05.03.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के संबंध में चर्चा की गई । इस बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पहली पेंशन मिलने में विलंब पर भी चर्चा की गई । इस पर भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पहली पेंशन के संवितरण पर विलंब होने के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया :-

1) पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा फेमिली पेंशनर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त बचत खाता रखना ।
2) जीवन प्रमाण-पत्र या केवाईसी प्रस्तुत नहीं करना ।
3) पेंशन प्राप्त करने के लिए खोले गए भारतीय स्टेट बैंक खाते से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक उपलब्ध न होना ।
4) अधिक भुगतान (ओवर पेमेंट) होने की स्थिति में राशि वापस करने संबंधी घोषणा / वचन प्रस्तुत नहीं किया जाना ।
5) अन्य स्त्रोतों से चिकित्सा सुविधा उपलब्धता न होने के संबंध में वचनबध प्रस्तुत नहीं करना ।

अतः पेंशन प्राप्त होने में किसी प्रकार के विलंब से बचने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मिकों को परामर्श दिया जाता है कि वे निम्नलिखित का अनुपालन करें ताकि उन्हें पेंशन बिना किसी असुविधा के और शीघ्र मिल सकें :-

1) पेंशन धारक द्वारा स्वयं अपने नाम अथवा फेमिली पेंशनर के साथ संयुक्त रूप से भारतीय स्टेट बैंक में अपना बचत खाता अनिवार्य रूप से खोला जाए ।

जारी.......

2) भारतीय स्टेट बैंक के खाते से पेंशन धारक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का अनिवार्य रूप से लिंक किया जाना तथा पेंशन पेपर्स/फार्म में इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ।
3) संभावित अधिक भुगतान होने की स्थिति में वचनबध "अनुलग्नक एल" पर तथा नियत चिकित्सा भत्ता (एफएमए) घोषणापत्र पेंशन पेपर/फार्म के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
4) पेंशनधारकों को चाहिए कि वे पेंशनदाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा से एसएमएस /ईमेल प्राप्त होते ही अविलंब संपर्क करें और जीवन प्रमाण-पत्र और केवाईसी संबंधी दस्तावेज़ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा करें ।

फिर भी किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु पेंशनधारक ईमेल आईडी pensionkvshq@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं ।

(सत्यनारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त(वित्त)

प्रतिलिपि:

1. समस्त पेंशनधारक

उपायुक्त (ईडीपी) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रति भेजी जा रही कि प्रस्तुत पत्र वेबसाइट पर अपलोड करें।